

फर्द अहकाम

बीराम लाल बनाम प्रहलाद जी

सहायक कलक्टर, सांभर लोक

काउं. नं. 241/16

आज्ञा या
पर्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

निरंतर

ज ही ब्याथालय में या शिविर ब्याथालय में
बाकी या बाकी की ओर से कोई धार्मिक विकास
आयोजना उपस्थित आये हों। अतः बाकी /
वकील बाकी / वकील बाकी के आदेशों तक
उपस्थित नहीं आने से परावली में आगामी
कार्यवाही का कोई औचित्य सिद्ध नहीं होता है।
अतः बाद बाकी दावत होना खतरा एवं उच्चारी
निवेधाना में आगामी कार्यवाही होय की जाती है
एवं बाद हीतद्वारा खारिज किया जाता है।
परावली फैसल सुनार होकर नंबर से रजम
होकर दायील दफ्तर है। निर्णय शिविर
काबरी का बास में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर
व शिविर ब्याथालय बुझा से जाते किया
गया।

शिविर पुरी
कहाय
सोमनाथ